

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अ०सं०- वि० प्रा० (I) नियुक्ति-07/2018/ 81 /पटना, दिनांक - 7-1-2019

अधिसूचना

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या 40/2014 के आलोक में आयोग के पत्रांक 02 दिनांक 03.04.2018 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में निम्नांकित अभ्यर्थी को वेतनमान पीबी-3, 15600-39100 + एजीपी 5400/- (अपुनरीक्षित) एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य भत्तों के साथ बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा के अधीन व्याख्याता (रसायन) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 7 में अंकित संस्थान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम एवं पत्राचार पता	आरक्षण कोटि	मेधा क्रमांक	गृह जिला	फोटो	पद एवं पदस्थापित रा० पो० संस्थान का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	विष्णु कान्त पिता-श्री नन्द किशोर प्रसाद ग्राम-नवादा, मो०-नवादा, पोस्ट-आरा, थाना-नावादा, जिला-भोजपुर, पिन-802301	सामान्य	15	भोजपुर		व्याख्याता, (रसायन), बदीउज्जमा खॉ पोलिटेकनिक, पुपरी, सीतामढ़ी

- इन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ व्याख्याता (रसायन) के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।
- इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मेधा क्रमांनुसार होगी।
- नव नियुक्त व्याख्याता (रसायन) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर नव पदस्थापित संस्थान में निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों एवं आवेदन में अंकित किये गये सूचना गलत पाये जाने पर बिना कारण पृच्छा के इनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा उम्मीदवार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- इनकी यह नियुक्ति सम्पुष्ट होने तक अस्थायी होगी।
- नव नियुक्त व्याख्याता (रसायन) जो वर्तमान में किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/ सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग/ संस्थान का विरमित आदेश/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- पूर्व से सरकारी सेवा/लोक उपक्रम में नियुक्त अभ्यर्थी अपने नियोक्ता से विरमित होने के पश्चात ही नव पद पर अपना प्रभार प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। इनका प्रभार प्रतिवेदन विरमित आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही नियंत्री पदाधिकारी इनके प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।
- अभ्यर्थी, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज नहीं लेने/ देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- बिहार सेवा संहिता के नियम 52 के अन्तर्गत अभ्यर्थी जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी -सह-असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त अपनी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियंत्री पदाधिकारी को योगदान के समय निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।

सरकार के विशेष सचिव  
25/1/19

निहित रूप से उपलब्ध कराया।

जो संबंधित संस्थानों/कार्यालयों से करार उसका प्रतिवेदन विभाग को तीन माह के अन्दर  
नियुक्त पत्र के आधार पर किया जायेगा तथा इनका दृष्टिकोण एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों की

2. संबंधित प्राचार्यों को निर्दिष्ट किया जाता है कि नव नियुक्त व्यक्तियों का योगदान उनके मूल

प्रावधिकी विभाग को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अथवा/सभी पदाधिकारियों एवं आई.टी. सैन्य, (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं  
आप्त सचिव/श्री कृदंन कुमार, S/O- श्री लाल मोहन मठानी गंगा-पानी-करीबी सिंह, वाड-09 शाना-करीबी जिला-  
पॉलिटेक्निक संस्थान/माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावधिकी विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान  
पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्राचार्य, सभी राजकीय पॉलिटेक्निक/राजकीय महिला  
प्रतिष्ठान - माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावधिकी विभाग, बिहार,

ज्ञापक - वि० प्र० (1) नियुक्ति-04/2018 / 81 / पटना, दिनांक-7-1-2019

सरकार के विशेष सचिव।

25/1/19

प्रेषित।

विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रतिष्ठान - महालेखाकार, बिहार, वीरबंद पटल पथ, पटना/प्रभारी वित्त (वैयक्तिक दायित्व निष्ठा कोषागार),

ज्ञापक - वि० प्र० (1) नियुक्ति-04/2018 / 81 / पटना, दिनांक-7-1-2019

सरकार के विशेष सचिव।

25/1/19

अंक में प्रकाशना हेतु प्रेषित।

प्रतिष्ठान - प्रभारी पदाधिकारी, ई-गवर्न कोषागार, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण

ज्ञापक - वि० प्र० (1) नियुक्ति-04/2018 / 81 / पटना, दिनांक-7-1-2019

सरकार के विशेष सचिव।

25/1/19



..... जिला-..... को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

..... ग्राम/मो-.....

प्रतिष्ठान - श्री/सुश्री/श्रीमती-....., पिता/पति का नाम-.....

ज्ञापक - वि० प्र० (1) नियुक्ति-04/2018 / 81 / पटना, दिनांक-7-1-2019

सरकार के विशेष सचिव।

25/1/19

बिहार राज्यपाल के आदेश से

होगा।

अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इसके लिए भविष्य में इनका कोई दायित्व अज्ञान्य नहीं

11. निर्धारित तिथि तक योगदान देने अथवा निर्धारित तिथि तक अवधि विस्तार का आवेदन न देने वाले